[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 12/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च, 2018

सा.का.नि. (अ.) - जहां कि चीन जनवादी गणराज्य और तुर्की (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "डिमेथिलेक्टामाइड" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 2924 19 के अंतर्गत आता है, के मामले में और अधिसूचना संख्या 14/41/2016-डीजीएडी, दिनांक 21 फरवरी, 2018, के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि–

(क) प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देश से सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया था।

(ख) विषयगत देश से आयातित इस प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है।

और जहां कि घरेलू उद्योग को हुइ इस क्षति को दूर करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम 10 में विनिर्दिष्ट मुद्रा में, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र. सं.	उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

1	292419	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	हेनन जुंनहुआ डेवलपमेंट कं.लि.	हेनन जुंनहुआ डेवलपमेंट कं.लि.	141	मी. टन	अमे.डॉ.
2	292419	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	झेंजियांग जिंगशान केमिकल्स कं.लि.	झेंजियांग जिंगशान केमिकल्स कं.लि.	87	मी. टन	अमे.डॉ.
3	292419	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	क्रम.सं. 1 और 2 से भिन्न अन्य कोई संयोजन		211	मी. टन	अमे. डॉ.
4	292419	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	चीन जनवादी गणराज्य	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न कोई देश	कोई भी	कोई भी	211	मी. टन	अमे. डॉ.
5	292419	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न कोई देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	211	मी. टन	अमे. डॉ.
6	292419	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	तुर्की	तुर्की	कोई भी	कोई भी	48	मी. टन	अमे. डॉ.
7	292419	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	तुर्की	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न कोई देश	कोई भी	कोई भी	48	मी. टन	अमे. डॉ.
8	292419	डिमेथिलेक्टामाइड (डी.एम.ए.सी.)	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न कोई देश	तुर्की	कोई भी	कोई भी	48	मी. टन	अमे. डॉ.

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फाइल संख्या.354/66/2018 –टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार